Indian Express of 27th December, 1993 under the caption "Tay water is better than bottled";

(b) if so, the details thereof; and

(c) the effective steps taken to protect the consumers and punish the firms engaged in the deceiptful business ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) and (b) Government have examined the findings of the Study. The matter was also taken up with the Institute who have since clarified that they had not mentioned that bottled drinking water brands sold in India are unsafe.

(c) Govenrment have initiated action to prescribe specifications for mineral water under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर में नियुक्तियों में कथित अनियमिता

4683. **श्री मूलचन्द मीणा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के जयपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निदेशक तथा अतिरिक्त प्रशासनिक निदेशक द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए नियुक्तियां की गई हैं ; यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने के लिए तथा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी ;

(ग) इस संस्थान के शैक्षणिक तथा प्रशासकीय विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को कब तक भर दिया जाएगा ;

(घ) उप निदेशक के पद को अतिरिक्त निदेशक का पद बनाने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या अतिरिक्त निदेशक का पद केवल उप निदेशक के पद पर कार्यरत व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सृजित किया गया है तथा वेतनमान भी गलत तरीके से बदला गया है ;

(च) उपनिदेशक के पद पर नियुक्ति करने के लिए क्या नियम है तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या उपनिदेशक द्वारा की गई वित्तीय तथा प्रशासकीय अनियमितताओं की जांच की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (छ) : राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में अनियमित नियुक्तियों संबंधी शिकायत की जांच की जा रही है ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके ।

(ग) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पदों की शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए निर्देश दिया गया है ।

(घ) और (ङ) उप निदेशक के कार्य की जिम्मेवारियों की दृष्टि से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन से उप निदेशक के पद का दर्जा बढ़ा कर 3700–5000 रुपये के वेतनमान में अपर निदेशक का पद बना दिया गया है ।

(च) उप निदेशक के पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा की जा सकती है जिसके न हो सकने पर अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से प्रति नियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है ।